# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00035 दायरा दिनांक : 06.07.2020

उनवान

1– राजेश आत्मज श्री परमानन्द जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

2– भोजराज आत्मज श्री परमानन्द जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

3– कृष्णा आत्मज श्री परमानन्द जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

4– पवन आत्मज श्री परमानन्द जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

5– लोकेश आत्मज श्री परमानन्द जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

6– श्रीमती चन्द्रकलां उर्फ सावित्री बाई विधवा पत्नी श्री परमानन्द जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

7– जगदीश आत्मज श्री रामलाल जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

8– खेमराज पुत्र श्री धन्ना, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

9– हरिचरण आत्मज श्री धन्ना जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

10– श्रीमती सीताबाई पुत्री श्री धन्ना जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

11– श्रीमती बिरधी बाई विधवा पत्नी श्री धन्ना जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

12– राजू आत्मज श्री चन्दा जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

13– पुरूषोत्तम पुत्र श्री चन्दा जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

14– श्रीमती नट्टी बाई विधवा पत्नी श्री चन्दा जी, जाति धाकड़, निवासी केरवालिया, तहसील अटरू, जिला बारां

15– श्रीमती द्वारकी बाई पुत्री श्री चतरा जी धाकड़ धर्म पत्नी श्री दुर्गालाल जी, जाति धाकड, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

16– श्रीमती बद्रीबाई पुत्री श्री चन्दा जी धर्म पत्नी श्री रामप्रसाद जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम गंडोलिया, तहसील अटरू, जिला बारां

17– महेन्द्र कुमार आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति धाकड़, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1– श्री रामचन्दर आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति सुनार, निवासी ग्राम सीमलिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा

2– श्री रामगोपाल आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति सुनार, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

3– रामस्वरूप आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति सुनार, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

4– रामभरोस आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति सुनार, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– रामरतन आत्मज श्री मोहनलाल जी, जाति सुनार, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

6– श्रीमती जानकी बाई विधवा पत्नी श्री मोहनलाल जी, जाति सुनार, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

7– श्रीमती लाड़बाई पुत्री श्री जगदीश जाति मीणा, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

8– श्रीमती मोहनी बाई पुत्री श्री जगदीश जाति मीणा, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

9– श्री लोकेश पुत्र श्री जगदीश जाति मीणा, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

10– रवि पुत्र श्री जगदीश जाति मीणा, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

11– भारत भूषण पुत्र श्री कजोड़ जी, जाति मीणा, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

12– श्रीमती सुनीता पुत्री श्री मोहनलाल धर्म पत्नी श्री सत्यनारायण जी, जाति सुनार, निवासी ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू, जिला बारां

13– दी स्टेट आफ राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रूपेश श्रृगी एवं महावीर मीना अभिभाषक

रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 24.09.2020

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 118/2017 निर्णय दिनांक 16.12.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेंट को उनके खाते की ग्राम मोठपुर, तहसील अटरू में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1739, 1733, 1734, 1736 एवं 1739/2711 पर जाने के लिये अपीलांट अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की खसरा नम्बर 1737 एवं 1738 के मध्य 84 मीटर लम्बी एवं 4 मीटर चौड़ी (84 X 4) = 336 वर्गमीटर यानि 0.03 हेक्टर भूमि रास्ते हेतु दिये जाने एवं इस भूमि का डी एल सी रेट से दुगनी राशि रेस्पोडेंट प्रार्थीगण से अपीलांट अप्रार्थीगण को रेस्पोडेंट से दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है । जबकि अपीलांट की आराजी में होकर रेस्पोडेंट का अपने खेत में जाने का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस दिये बिना ही गलत रिपोर्ट पर अपीलांट की तामील मानकर आदेश पारित कर नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत की अवहेलना की है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 5 नियम 17, 18, 19 एवं 20 की पालना किये बिना ही फर्जी तरीके से सम्मन पर किये गये एन्डोर्समेंट के आधार पर सम्मन की तामील मानकर अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित करते हुए अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित किया है जो प्रभावशून्य होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत मामले में कानूनी प्रकिया अपनाये बिना तथा नियमानुसार भू अभिलेख अधिकारी अथवा उससे उच्च अधिकारी से रिपोर्ट मंगवाये बिना ही तथा गवाह सबूत लिये बिना ही मात्र रेस्पोडेंट के कथन पर विश्वास कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है । अपीलांट संख्या 12 लगायत 16 को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी उन्हें पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना दिया गया आदेश अवैध होने से निरस्तनीय है । अतः

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.02.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251(ए) का प्रार्थना पत्र पेश किया था । तीन अलग अलग खेत का एक ही प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा प्रतिवादीगण भी अलग अलग खेत के मालिक हैं। यदि रास्ता बन्द कर दिया गया है तो धारा 251 में तहसीलदार सुनेंगे । उपखण्ड अधिकारी को धारा 251 (ए) में शक्तियां नया रास्ता देने बाबत प्राप्त हैं । अधीनस्थ न्यायालय की आर्डरशीट दिनांक 07.09.2017 व 5.10.2017 से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है । नोटिस खुले मकान पर चस्पानगी से होना बताया गया है । अपील में अप्रार्थी संख्या 7 चन्दा की 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है व अप्रार्थी संख्या 9 की 2010 में मृत्यु हो चुकी है जबकि इनके नोटिस खुले मकान पर चस्पानगी से करना बताया गया है जबकि चस्पानगी के समय दो गवाह भी होने चाहिए जो नहीं हैं। उपखण्ड अधिकारी ने मृतक चन्दा व परमानन्द के विरूद्ध निर्णय कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है । धारा 251 (ए) के मामले में गिरदावर से रिपोर्ट मंगवायी जाती है जबकि मौका रिपोर्ट पर हल्का पटवारी के हस्ताक्षर हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त की जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2013 (2) पेज 985, आर आर टी 2010 (2) पेज 1239, आर आर डी 2004 पेज 9, आर एल डब्ल्यू 2007 (1) आर जे पेज 37,

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

आर आर टी 2017 (2) पेज 1047 (एस सी), 2013 (3) डी एन जे (राज.) पेज 987, 2018–19 (सप्लीमेंट्री) आर आर टी पेज 598, 2020 डी एन जे (रेवेन्यु) पेज 68 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि में होकर कोई रास्ता नहीं है, किसी भी सूरत में मानने योग्य नहीं है । तहसीलदार, अटरू ने Factual रिपोर्ट पेश की है जिसे अविश्वसनीय माने जाने का कोई आधार नहीं है । परमानन्द के वारिसान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पहले से ही रेकार्ड पर होने से इस बाबत लिये गये ऐलीगेशन मेंटेनेबल नहीं है । अपीलार्थीगण का यह कथन कतई निराधार असत्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश से Perjudice भी थे तो उन्हें एक पक्षीय कार्यवाही को मन्सूख करवाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय में चन्दा को प्रतिवादी संख्या 7 दर्ज कर धारा 251ए की कार्यवाही प्रस्तुत की थी और चन्दा को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सूचना पत्र की तामील हो गई थी बावजूद तामील वह अनुपस्थित रहा, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को सूचना पत्र जारी कर दिये है जिनकी विधि सम्मत सूचना अप्रार्थीगण को हो चुकी थी, ऐसी सूरत में यह तथ्य कतई आधारहीन है कि अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी नहीं किया हो । सूचना पत्र पर कोई फर्जी एन्डोर्समेन्ट नहीं किया । अप्रार्थीगण सूचना के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं आये और इसी आधार पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश प्रदान किये । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है, जो धारा 251ए आर टी ए के Proivsion के मुजब ही पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में रेस्पोडेंट ने तहसील अटरू में न्यायालय द्वारा निर्धारित राशियां जमा करायी जा चुकी है तथा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

राजस्व रेकार्ड में अमल किये जाने का आदेश भी पारित किया जा चुका है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली में दिनांक 05.10.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की तामील होना दर्शाया गया है तथा बावजूद तामील के प्रतिवादी 1 से 14 अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई । हमने पत्रावली में सलंग्न सम्मन का अवलोकन किया । सम्मन में समस्त प्रतिवादीगणों के खुले मकान पर चस्पानगी दर्शायी गयी है । चस्पानगी दो मोतबिरान के समक्ष होनी चाहिए । लेकिन चस्पानगी में दो मोतबिरान की उपस्थिति नहीं दर्शायी गयी है । इस प्रकार चस्पानगी द्वारा दर्शायी गई उक्त तामील को सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार विधिवत तामील कराया जाना नहीं माना जा सकता । इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलांट ने आर. आर. टी. 2013 (2) पेज 986, 987 बिन्दु संख्या 6, आर. आर. टी. 2010 (2) पेज 1239 व 1241, आर. आर. डी. 2004 पेज 9 नजीरें पेश की, जो यहां चस्पा होती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक चन्दा व परमानन्द के विरूद्ध निर्णय कर दिया गया है जबकि मृत व्यक्ति के कायम मुकामान बनाया जाना भी आवश्यक था । इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलांट ने आर. आर. टी. 2017 (2) पेज 1047 नजीरे पेश की, जो यहां चस्पा होती है । प्रकरण में मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है जबकि मौका रिपोर्ट आई. एल. आर. या उससे उच्च अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए थी । इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलांट ने राजस्थान टीनेन्सी GOVT. नियम 1955 के नियम 69 की पालना नहीं करने बाबत नजीर आर. आर. टी. 2018 पेज 598 एवं 599 पेश की, जो यहां चस्पा होती है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2019 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह सम्मन की तामील विधि अनुसार करवाये । उभयपक्ष की उपस्थिति में स्वयं अथवा तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करें । ततपश्चात प्रस्तुत आपत्ति पर विचार कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.11.2020 को उपस्थिति होवें ।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा